भाग एक: खण्ड छः

मध्य ूदेश इमारती लकड़ी (Timber) तथा अन्य गौडउपज दर िनधार्रण (िवःतारण) िनयम, 1974

अिधसूचना बमाक 2733-2406 दस 2-74 िदनांक 22-6-74- भारतीय वन अिधिनयम, 1927 (िवधान ब. 16, वषर् 1927) की धारा 76 द्वारा ूदत्त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा िनम्निलिखत िनयम बनाता है -1. संिक्षप्त नाम तथा ूारम्भ (1) ये िनयम ''मध्यूदेश इमारती लकड़ी (Timber) तथा अन्य गौड़ उपज दर िनधार्रण (िवःतारण) िनयम, 1974 कहलायेंगें -

(2) मध्यूदेश राजपऽ में ूकािशत होने के िदनांक (22-6-74) से ूवृत्त होंगे।

2. सेन्शल ूोिवन्सेज एवं वरार फारेःट मैन्युअल (अब मध्य ूदेश फारेःट मैन्युअल) िजल्द (Volume) 1 के अध्याय बीसके िनयम 114 जैसा िक वह इन िनयमों के ूारम्भ होने के पूव महाकौशल क्षेऽ में ूवृत्त है एतद्द्वारा राज्य के अन्य क्षेऽों पर िवःतािरत िकया जाता है।

नोट - मध्यूदेश शासन, वन िवभाग की अिधसूचना ब. फा./18-2-76-2 दस/ िदनांक 25 िसतम्बर 1976 से सेन्शल ूोिवन्स एण्ड बरार फारेःट मैन्युअल भाग 1 एवं 2 (वषर् 1949 का संःकरण) पूरे मध्य ूदेश में लागू हो गया है तथा वषर् 1980 में मध्य फारेःट मैन्युअल (छठां संःकरण) ूकािशत हुआ है। पैरा 114 इसी मैन्युअल से नीचे िदया जा रहा है:

पैरा 114 - इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज के दर िनधार्रण - इमारती लकड़ी एवं वन उपज की दर समयसमय पर तथा िजलेवार, आयुक्त तथा वन संरक्षक की सलाह से िनधार्िरत की जावेगी। वनोपज की ःवीकृत दरों को िजलाध्यक्ष की सहमित से (Concurrence) वन संरक्षक कम कर सकेंगे। दर बढ़ाने की िःथित में किमश्नर से सलाह लेना आवँयक है। दरों में सभी पिरवतर्नों की सूचना आयुक्त को दी जानी चािहये। वनोपज की िकःम एवं वगर् के अनुसार अग-अलग दरें िनधार्िरत की जावेंगी।

इमारती लकड़ी

िवभाग के आदेशानुसार िनम्निलिखत मोटाई ौेणी/लम्बाई ौेणी िनधार्िरत की गईं - (नवीन ूणाली अनुसार)

बल्ली-नाम नीचे 120 से.मी. पर िलया जावेगा।

जाित	गोलाई वगर्	लम्बाई
वगसागौन	15-20 से.मी.	2-3, 3-4
21-3''	4-6 और 6 मीटर	
31-45''	से अिधक	
अन्य ूजाित	21-30'' 2-3 मीटर तक	
31-45''	3-5 मीटर तक	
46-60''		5 मीटर से अिधक लम्बाई वगर्।लट्ठे

- सागौन 46 से.मी. से अिधक 2-3, 3-4, 4-6, 6 से अिधक। अन्य ूजाित 60 से.मी. से ऊपर 2-3, 3-5, 5 मीटर से अिधक।

बल्ली की दर ूित नग तथा लट्ठों की ूित घ. मी. से िनधार्िरत की जावेगी।

जलाऊ लकड़ी

केवल िगरी पड़ी मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी के भाव िनधार्िरत िकये जावेंगे। दरें, िसरबोझ, कांबड़ बोझ, और गाड़ी बोझ हेतु िनधार्िरत की जावेंगी। मवेिशयों या अन्य बोझ का दर िनधार्रण उपरोक्त आधार पर िकया जावेगा। आवँयकता पड़ने पर वर संरक्षक, सूखी जलाऊ लकड़ी के संमहण के िलये मािसक दर भी िनधार्िरत कर सकता है।

घास

चराई के चारे एवं छप्पर छाने के घास की अलग-अलग दर िनधािरत करना वांछनीय है। चराई चारे की दर, जहां तक सम्भव हो, कम रखना चािहये। जहां पर सवाई घास (Ischaemum Augustifolium) िवशेष माऽ में उपलब्ध हों, वहां इस घास की भी दर िनिश्चत की जानी चािहए। यह कीमती वािणिज्यक वःतु है अतः इसकी दर ऊँची िनिश्चत िकया जाना चािहए।

अन्य उपज

(1) जहां तक सम्भव हो दर बहुत कम और साधारण हो।

(2) िनिमर्त वःतुओं के िलये िवशेष दरें, जैसे धुरी, हल, आिद को टालना चािहए क्यायेंिक वृक्ष या बल्ली द्वारा, जो िक उनको बनाने में आवँयक हैं, के अनुसार भुगतान होना चािहए।

(3) अिधकतर दरें िसर बोझ, कावर बोझ या बैलगाड़ी की ही िनिश्चत की जाना चािहए।

(4) िकसी भी दो दर के बीच का अन्तर या कोई दर एक पैसा से कम नहीं होना चािहए और दर 2 पैसा पहुंच जावे तब अन्तर आधा आना (दो पैसे) के कम अन्तर करते हुए अन्तर नहीं िनिश्चत िकया जाना चािहए।

(5) कितपय ूकार के वनोपज के िलए एक िसरबोझ ूितिदन के िहसाब से मािसक अनुज्ञा पऽ जारी करना चािहए।

(6) बांस की दर ूित सैकड़ा के िहसाब से िनधार्िरत होना चािहए।

नोटजलाऊ-लकड़ी िसर बोझ से िनःशुल्क लाने की सुिवधा -

मय्यूदेश शासन ने पऽ ब .18/11/506/दस/2/75 िदनांक 29.4.75 द्वारा मामीणों को राज्य के समःत आरिक्षत एवं संरिक्षत वनों से िगरीपड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी िसरबोझ से िनःशुल्क लाने की सुिवधा दी है।

बाँस की सुिवधा

मध्य संदेश शासन, वन िवभाग के पऽ ब 7/23/79/दस/3 िदनांक 16.9.85 में बाँस ूदाय हेतु िनम्न व्यवःथा की है -

ब.	ौेणी	माऽा	दर जो िनधार्िरत हो
(1)	कृषक, कृिष मजदूर, मामीण कारीगर	अिधकाम 250 बाँस ढुलाई व्यय जोड़कर	रायल्टी 0.25 कटाई, ढुलाईव्यय जोड़कर
(2)	बसोड़	त्येक पिरवार को अिधकतम 1500 बाँस	रायल्टी 0.25 तथा कटाई, ढुलाई व्यय
)3)	पान वरेजा	अिधकतम 1000बाँसतक कटाई	रायल्टी 1-कटा50ई, ढुलाई व्यय जोड़कर

अिम तथा बाढ पीिडत व् यिक्तयों को सहायता

मध्य संदेश शासन, वन िवभाग के पऽ ब .1046/5367दस/(2) 73 िदनांक 28.2.78 एवं पऽ ब.

271/4753/सा/3/76 िदनांक 10.2.77 के अनुसार अिम तथा बाढ़ पीिडत व्यिक्त को सिम्बन्धत अनुिवभागीय अिधकारी :की िसफािरश लाने पर िनम्न वनोपज िन (राजःव)शुल्क ूदाय की जावेगी-

बल् ली .... 30 नग

बॉस ....50 नग

वन िवभाग मशासन . .ू, अिध.ब .289 नागपुर िदनांक 16.7.1953 िफरःट मैन्युअल अध्याय 20 के भाग 4 के अन्तगर्त पैरा 114-अ के रूप में जोडा जावे-

पैरा 114 (अवनोपज को खािरज क (रने हेतु मूल्य िनधार्रण इमारती लकडी एवं जलाऊ -लकडी के िनम् न तीन कारणों के कारण ःटॉक से खािरज िकया जा सकता है।

(1) चोरी आिद के कारण कमी से।

(2) अिम से नष्ट होने के कारण ।

(3) उसके िबबी योग्य न होने के कारण ।

त्येक ूकरण में वन मण् डलािधकारी की यह व्यिक्तगत िजम्मेदारी होगी िक वह उसका मूल् यांकन करे और ूमाण-पऽ जारीकरें।

वन में कटी इमारती लकडी जलाऊ लक्खी का उपयोगी जीवन पाँच वषर् माना जावेगा तथा बाँस का दो वषर् । अन्य वःतुओं की उपयोिगता सीमा उनकी ूकृित पर िनभर्र होगी । इमारती तथा जलाऊ लकडी जो खािरज की जाने वाली है, उनका ूत्येक का मूल् यांकन िनम् न िनदेर्शों के अनुसार होगा तथा वन मण् डलािधकारी िनधार्िरत ूपऽ में ूमाणपऽ - देंगे।

चोरी के कारण कमी के सम् बन् ध में इ) (अ)Ðमारती लकडीÐ होगा समािवं टपऽ में िनम् न- माण (ू

(1)हािन की जांच पूणर् कर ली गई हैत कर िदया गया है।ई आदेशों के अनुसार ूितवेदन ूः तुः था ,

(2)हािन का मूल् यांकनजैसे ,तानुसार िकया जावेगा जहां नुकसान हुआ हैन पर िवबय योग् यउस ः था ,

कूप में कट :उदाहरणतःी इमारती लकडी की क्षित कूप से ही हुई है तो कूप में नीलाम का जो मूल् य ूाप् त होता उससे अनुमािनत मूल्य िलया जावेगा। उसी क्षेऽ में उस तरह वःतु नहीं बेची जाती है, तो खडी वःतु के मूल्य में कटाई, ढुलाई व्यय जोड़ना चािहए। यिद कटी और खडी वःतु क्षेऽ में नहीं बेची जाती है तथा िडपों पर बेची जाती है, तो कूप मेंकटी चोरी गई इमारती लकडी का मूल्य िडपो में ूाप्त मूल् य के आधार पर िनकाल कर उसमें से पिरवहन व्यय घटाया जावेगा।

उपरोक्त ूकार मूल्यांकन करने के उपरान्त, वृक्ष की कटाई की ितिथ तथा नुकसान की ितिथ के मध्य वषर् के िलए उसका 1/ भाग ूित वषर् के मान से मूल्य की कमी की जावेगी। जेसे 5कटाईं जून में हुई तथा काि‍न 83 में हुई तथा क86वषर् जुलाईटी लकडी का जून 4का मूल्यांकन83 ,000- आया जो जुलाई की िःथित में तीन 86 1वषर् में उसका मूल्य ू त्येक वषर् का/ 3 से 5 / 2 अथार्त् 5 , में 86 घट जावेगा तथा जुलाई -/ 400मूल् यांकन 1,600/- माना जावेगा।

िकसी भी वषर् के अन्त में अथार्त् पाँच वषर् के पश्चात् भीउस (लकडी का मल्य िशइयूल आँफ रेट से

जलाऊ लकड़ी का मूल् य तथा उत्पादन खचर् सिहत जो मूल्य होगा वह होगा। यह मूल्य दस वषर् तक रहेगा। दस वषर् के उपरान्त केवल उत्पादन व्यय की मूल्य को िनरूिपत करेगा।

बमांक अ 2थार्त् अिम से होने वाली क्षित से संबंध में -माण ू-पऽ में नुकसान का ज्ञात एवं अनुमािनत

)Presumedकारण का िववरण होगा और इसके िनिश्चत क (रने के संभाव्य समी ूयास िकए गए यह भी होगा। हािन का मूल् यांकन बमांक)1में दी िविध से ही होगा। (

बमांक अथार्त् िवबय योग्य न रहने से 3हािन के संबंध में - मागापऽ में यह समावेश होगा िक वःतु

को बेचने के समी संभाव् य ूयास िकये गये और अब उसको ःटाक में रखना उपयोगी नहीं होगा । दस वषर् तक इमारती लकड़ी का मूल्य िरयायती जलाऊ लकड़ी का मूल्य तथा उत्पादन व्यय रहेगा उसके उपरान्त उत् पादन व्यय रहेगा उसके उपरांत उत् पादन व् यय ही मूल्य माना जावेगा । वन मण्डलािधकारी इस ऐिच्छक)Discreationary (

अिधकार को बहुत सावधानीपूवर्क रूप में उपयोग में लावेगा। लायेगा। वह उनकी व्यिक्तगत िजम्मेदारी होगी िक यह देखें िक कोई कीमती इमारती लकड़ी न"िबकने योग्य) "Unsaleableन घोिषत हो जावे। (